(12)

न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड महोदय ग्वालियर

निगरानी 782-I-15

प्र.क.

1. रामचरण पुत्र रणधीरसिहं रघुवंशी
निवासी खासखेड़ा तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म.प्र.

निगरानीकर्ता

वनाम

1. कल्लोबाई पत्नि बुंदेलसिहं रघुवंशी
निवासी शाजापुर
2. मोहरबाई पत्नि मानसिहं रघुवंशी
निवासी शाजापुर
3. सविताबाई पुत्री मानसिहं रघुवंशी
निवासी शाजापुर
4. सुखलाल पुत्र मानसिहं
5. विजय पुत्र मानसिहं
6. सुरेन्द्र पुत्र मानसिहं
7. सुनील पुत्र मानसिहं
8. रामस्वरूप पुत्र मानसिहं समस्त जाति
रघुवंशी समस्त निवासी शाजापुर
9. रामकली पुत्री रणवीरसिहं
10. श्रीबाई पुत्री हरिसिहं समस्त जाति
रघुवंशी समस्त निवासी शाजापुर
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर

प्रतिनिगरानीकर्ताजन

श्री एम. एस. चौहान द्वारा आज दि. 15-4-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 782–एक/2015 जिला अशोकनगर

रामचरण विरूद्ध कल्लोबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 30/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24–12–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि विवादित भूमि के नामांतरण तहसीलदार ने वसीयतनामे के आधार पर सभी पक्षकारों की सुनवाई के बाद किया था। आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज भी हो गया था। लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ द्वारा नामांतरण निरस्त करते हुये पुर्नविलोकन अनुमति तहसीलदार को दे दी जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। आवेदक को बिना सुनवाई किये एकपक्षीय पुर्नविलोकन की अनुमति दी गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। 3/ आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने पुर्नविलोकन अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना आवेदक एवं अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये एक दिवस में ही पुर्नविलोकन की अनुमति तहसीलदार को प्रदान कर दी, जो नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से प्रथमदृष्टया ही उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में 2000 आर एन 76 में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत	

प्रतिपादित किया गया है –

''पुनर्विलोकन– पुनर्विलोकन हेतु राजस्व मण्डल अथवा अन्य किसी राजस्व पदाधिकारी द्वारा मंजूरी दूसरे पक्ष को सूचना व सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रदान नहीं की जा सकती।''

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक नहीं कहा जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–12–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत पुनर्विलोकन के बिन्दु पर विधिअनुसार निर्णय लेने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य